न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 1140–पीबीआर/15 विरूद्ध आदेश दिनांक 22–4–2015 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, गैरतगंज प्रकरण कमांक 55/अपील/11–12.

रामस्वरूप पुत्र धर्मदास
निवासी ग्राम खुमारी कृषक ग्राम भानपुरगंज
तहसील गैरतगंज जिला रायसेन .....आवेदक

विरूद्ध

1– नारायण सिंह पुत्र कुन्दनलाल
2– काशीराम पुत्र हरीराम
निवासीगण ग्राम भानपुरगंज
तहसील गैरतगंज जिला रायसेन .....अनावेदकगण

श्री जगदीश जैन, अभिभाषक, आवेदक
श्री फारूख कैसर सिद्दकी, अभिभाषक, अनावेदक क. 1

:: **आ दे श** ::

(आज दिनांक 18/6/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी, गैरतगंज द्वारा पारित आदेश दिनांक 22–4–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक द्वारा तहसीलदार, गैरतगंज के प्रकरण कमांक 99/बी–121/11–12 में पारित आदेश दिनांक 15–5–12 के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी, गैरतगंज के समक्ष प्रथम अपील दिनांक 21–8–12 को विलम्ब से

प्रस्तुत की गई । चूंकि अपील विलम्ब से प्रस्तुत की गई थी, इसलिए विलम्ब की माफी के लिए अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र भी प्रस्तुत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण कमांक 55/अपील/11–12 दर्ज कर दिनांक 22–4–15 को अंतरिम आदेश पारित कर अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार करते हुए अनावेदक कमांक 1 की ओर से प्रस्तुत व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 1 नियम 10 का आवेदन पत्र भी स्वीकार किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार करने में पूर्णतः न्यायोचित कार्यवाही की गई है किन्तु व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 1 नियम 10 का आवेदन पत्र स्वीकार करने में अवैधानिकता की गई है, क्योंकि उक्त दोनों आवेदन पत्र की प्रकृति भिन्न है, इसलिए अनुविभागीय अधिकारी को मिश्रित आदेश पारित नहीं कर व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 1 नियम 10 के आवेदन पत्र पर उभय पक्ष को सुनकर पृथक से आदेश पारित करना चाहिए था । यह भी कहा गया कि अनावेदक कमांक 1 द्वारा प्रस्तुत व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 1 नियम 10 एवं आदेश 41 नियम 27 के आवेदन पत्र में मुशर्रफ मीर खां के वारिसानों में विरोधाभास है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि वादग्रस्त भूमि आवेदक के स्वत्व एवं स्वामित्व की हैं, और मृतक के वारिसान को यदि कोई आपत्ति है तो वे अपील करने के लिए स्वतंत्र हैं ।

4/ अनावेदक कमांक 1 के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि वादग्रस्त भूमि का बटवारा नहीं हुआ है, इसलिए विकय नहीं हो सकता । यह भी कहा गया कि छोटी पुत्री नाबालिग होने से भूमि का विकय कैसे कर सकती है । तर्क में यह भी कहा गया कि आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में विकय पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है । यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि कपटपूर्ण आदेश को कभी भी चुनौती दी जा सकती है । यह भी कहा गया कि शेष बची भूमि मुशर्रफ मीर खां एवं करोड़ी मल के नाम की है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 1 नियम 10 का आवेदन पत्र स्वीकार करने में पूर्णतः विधिसंगत कार्यवाही की गई है ।

4/ अनावेदक कमांक 2 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के सदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि में अनावेदकगण के हित निहित है, और उनके हितबद्ध पक्षकार होने के बावजूद भी तहसील न्यायालय द्वारा उन्हें सूचना व सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है, ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार कर अपील समय–सीमा में मान्य करने में पूर्णतः न्यायिक कार्यवाही की गई है । इसके अतिरिक्त अभिलेख पर विकय पत्र उपलब्ध नहीं होने के कारण विकय पत्र प्रस्तुत करने के निर्देश देने में भी अनुविभगीय अधिकारी द्वारा पूर्णतः विधिसंगत कार्यवाही की गई है । यहां यह भी विचारणीय प्रश्न है कि प्रश्नाधीन भूमि में मुशर्रफ मीर खां सहखातेदार है, परन्तु तहसील न्यायालय में मुशर्रफ मीर खां के वारिसों को पक्षकार नहीं बनाया गया है, ऐसी स्थिति में अनुविभगीय अधिकारी द्वारा व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 1 नियम 10 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र को भी स्वीकार कर मृतक मुशर्रफ मीर खां के वारिसानों को पक्षकार बनाने में भी वैधानिक एवं न्यायिक कार्यवाही की गई है । दर्शित परिस्थितियों में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधिसंगत होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी, गैरतगंज द्वारा पारित आदेश दिनांक 22–4–2015 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर